जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 12-06-2021**

आज दिनांक 12.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 46 शीशी देशी शराब बंटी बब्ली व 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 46 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1-अशोक पुत्र दुधई 2- सुभाष पुत्र रामविलास निवासीगण मिश्रौलिया नेदुला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 24 व 22 शीशी बंटी बब्ली अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 400 / 2021 व मु0अ0सं0 401 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- मुन्द्रिका प्रसाद पुत्र बुद्धिराम निवासी विधियानी 2- श्यामलाल पुत्र सीताराम निवासी छोटी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद को क्रमशः 05-05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 402 / 2021 व मु0अ0सं0 403 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 26 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1498 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 06038 से कालर ने किसी बात को लेकर मारपीट / विवाद होने व मारपीट के दौरान एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 09 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचाया गया तथा तथा इस संबंध मे थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 बालजीत यादव, आ0 धर्मेन्द्र कुमार, हो0चा0 देवेन्द्रनारायण शुक्ल।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 137 वाहनो से 122500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 137 वाहनो से 122500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।